छात्रों के सतत सीखने हेतु योजना

Continuous Learning Plan (CLP)

2020-21

सा विद्या या विमुक्तये

SCERT UK

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड

State Council of Educational Research and Training, Uttarakhand

Tapovan Road, Nalapani, Dehradun

Phone: 0135-2789655 Fax: 0135-2789656, Website: www.scert.uk.gov.in

E-mail: scertuk@gmail.com, scert_ua@rediffmail.com

छात्रों के सतत सीखने हेतु योजना 2020–21

Continuous learning plan

COVID-19 के चलते सुरक्षात्मक कारणों से राज्य में स्कूल मार्च 2020 के द्वितीय सप्ताह से बन्द चल रहे हैं। छात्र तथा अध्यापक घरों से रहकर ही सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय हैं। स्कूलों के बन्द होने के कारण पाठ्यक्रम के अनुरूप सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में बाधाएँ आ रही हैं। स्कूल के साथ–साथ घर, परिवेश, आस–पास के वातावरण व अनुभवों से छात्रों के सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है।

कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों में सीखने–सिखाने की प्रक्रिया जो औपचारिक, प्रत्यक्ष, शिक्षक–छात्र अंतःक्रिया के रूप में थी, वह आवश्यकतानुसार विभिन्न वैकल्पिक तरीकों से सम्पन्न हो रही है, यथा ऑनलाइन, मोबाइल, रेडियो, टी.वी., पाठ्यपुस्तक, अभिभावकों का निर्देशन आदि। विभिन्न हितधारक राज्य में अलग–अलग माध्यमों व तरीकों से छात्रों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत हैं।

इन वैकल्पिक माध्यमों व तरीकों द्वारा सभी छात्रों को समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने में बाधाएँ भी हैं। यथा समय, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता, घर में समुचित अनुसमर्थन न मिल पाना आदि। परिणाम–स्वरूप छात्रों के लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति के साथ सीखने में कमी का खतरा है। अतः योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक है।

छात्रों में लॉकडाउन के दौरान व बाद में छात्रों के सीखने सम्बन्धी कमियों व हानियों (Learning gaps व losses) को ध्यान में रखकर राज्य में COVID-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण काल हेतु " Students Learning Enhancement Plan " विकसित किया गया है। राज्य के विविध भौगोलिक परिदृश्य व तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर सीखने–सिखाने सम्बन्धी केवल एक मॉडल पर्याप्त नहीं है। अतः कुछ वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कार्यक्रम हेतु सुझाए गए हैं।

कोविड–19 के इस चुनौती पूर्ण समय में सीखने की गतिविधियों को (Learning Enhancement) सुनिश्चित करने के लिए निम्न लिखित बिन्दुओं का संज्ञान लिया जाए–

1. डिजीटल उपकरणों की उपलब्धता वाले छात्र।
2. डिजीटल उपकरणों पर सीमित पहुँच वाले छात्र ।
3. डिजीटल उपकरणों के अनुपलब्धता वाले छात्र।

चुनौतियाँ (**Challenges**)–

- COVID-19 महामारी के दौरान आवागमन बाधित है।
- संक्रमण से बचाव हेतु Social Distancing के साथ–साथ अन्य सामाजिक क्रियाकलाप प्रतिबंधित हैं।
- अभिभावकों को रोजगार हेतु घर से बाहर जाना पड़ता है।
- समुदाय को इस प्रक्रिया में शामिल करना एक चुनौती है।
- मॉनिटरिंग, फॉलोअप व फीडबैक प्राप्त करना चुनौती है।
- छात्र लम्बी अवधि से (मार्च–2020) से विद्यालयों में नहीं हैं।
- छात्रों के अभिभावक अपने व्यावसायिक कार्य की प्रकृति की वजह से जोखिम में हो सकते हैं।
- प्रवासी अभिभावकों के बच्चे (Migrant Children)
- छात्रों का सामाजिक व भावनात्मक पहलू

1. स्व मूल्यांकन
2. मूल्यांकन एवं पश्चपोषण की चुनौतियाँ

इस योजना के माध्यम से यथासंभव समाधान के प्रयास किए गए हैं।

अवसर– छात्रों के अधिगम वृद्वि कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु डिजीटल उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप देने के लिए निम्नलिखित के अनुसार अवसर उपलब्ध हैं।

1. छात्र स्कूलों में नामांकित हैं तथा नामांकन किये जा सकते हैं।
2. छात्र जिनके पास स्मार्ट फोन, एंड्राइड फोन, टी.वी. रेडियो आदि की उपलब्धता व पहुँच है, का ऑनलाइन शिक्षण किया जा सकता है।
3. छात्र जिनके पास टी.वी. व फीचर्ड फोन उपलब्ध हैं।
4. छात्र जिनके पास केवल रेडियो उपलब्ध हैं उन्हें ऑफ लाइन माध्यम व रेडियो से सिखाया जा सकता है।
5. छात्र जिनके पास कोई डिजीटल उपकरण उपलब्ध नहीं हैं उनसे सार्थक सम्पर्क तथा सामग्री पहुँचाकर लाभ पहुँचाया जा सकता है।

अद्यतन प्रयास–

- अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण हेतु छात्रों के व्हाट्सएप समूह बनाए गए हैं।
- डायट्स द्वारा अध्यापकों के विषयवार समूह बनाए गए हैं।
- **प्रज्ञाता** जो कि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित डिजिटल शिक्षण गाइडलाइन्स हैं, का हिन्दी अनुवाद तथा शिक्षण की अभिलेखन/अनुश्रवण प्रक्रिया अध्यापकों को अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- अध्यापकों को दूरदर्शन के विभिन्न शैक्षिक चैनल स्वयंप्रभा ग्रुप, ज्ञानदीप शैक्षिक प्रसारण देहरादून उत्तराखण्ड तथा दीक्षा के उपयोग पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। डायट द्वारा

इसके लिए विशेष मॉडयूल तैयार कर 14575 अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया गया है।

- अध्यापकों के द्वारा छात्रों को खाद्यान्न वितरण के दिन वर्कशीट प्रदान की जा रही हैं।
- राज्य स्तर पर सतत निर्देशन व अनुश्रवण किया जा रहा है।
- छः स्थानों पर कम्युनिटी रेडियो से प्राथमिक कक्षाओं हेतु शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है।
- शैक्षिक चैनलों के सन्दर्भ में विद्यार्थियों से व्हाट्सएप के माध्यम से फीड बैक लिया जा रहा है।
- ज्ञानदीप शैक्षिक चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
- डायट के साथ गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण के सन्दर्भ में समीक्षा बैठक की जा रही है।
- विद्यार्थियों को पंचायत घर तथा उपयुक्त सार्वजनिक स्थल पर टी.वी. के माध्यम से शैक्षिक चैनलों को देखने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्य हेतु जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायत आदि का सहयोग लिया जा रहा है।

ध्यान हेतु आवश्यक गतिविधियाँ–

1. शिक्षकों को विभिन्न तरीकों से शिक्षण हेतु संवेदीकृत/अभिमुखीकृत/क्षमता संवर्धन करना।
2. लर्निंग आउटकम्स व पाठ्यक्रम मैपिंग।
3. शारीरिक स्वास्थ्य व सफाई
4. मानसिक स्वास्थ्य।
5. कोविड–19 काल में सामाजिक दूरी का पालन।
6. शिक्षक अभिभावक पार्टनरशिप।
7. शिक्षार्थी केन्द्रित सीखने–सिखाने की प्रक्रिया।
8. तनाव रहित वातावरण।
9. स्व अध्ययन।
10. अनुभवात्मक अधिगम।
11. डिजीटल उपकरणों के विविध तरीकों तक पहुँच।
12. आकलन का तरीका।
13. विशेष आवश्यकता वाले छात्रों हेतु क्रियाकलाप।
14. प्रवासी/घुमन्तु परिवार के बच्चों की पहचान।
15. सामुदायिक सहयोग प्राप्त करना।

शिक्षकों का क्षमता संवर्धन–

1. ऑडियो–बीडियो प्रोग्राम व इण्टरनैट के द्वारा साझेदारी।
2. छात्रों से ऑनलाइन सम्पर्क।
3. नवीनतम आई.सी.टी. सम्बन्धी टूल्स की जानकारी व शिक्षकों को अनुसमर्थन।
4. वीडियो व ऑडियो प्रोग्राम का विकास।

5. लाइव कार्यक्रम व सम्बन्धित वैबसाइट की जानकारी।
6. ऑन लाइन शिक्षक प्रशिक्षण।
7. छात्र अधिगम को ट्रैक करना।
8. भावनात्मक सपोर्ट।
9. छात्र उपलब्धि बढाने के लिए छात्र–अभिभावकों के मध्य गहन संवाद।
10. सामाजिक उत्तरदायित्व व जवाबदेही।
11. शिक्षकों का विभिन्न विषयों में ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण व अधिगम।
12. आनलाइन एवं वर्कशीट आधारित मूल्याकंन।

लक्ष्य :– प्रत्येक स्कूल के पास हर ग्रेड व हर बच्चे के लिए एक सतत सीखने में सुधार हेतु योजना होनी चाहिए।

प्रस्तावित सतत अधिगम योजना

(Continuous Learning Plan)

1. **विद्यार्थी व अभिभावक सम्पर्क** (Student & Parent Contact) :

ऑनलाइन शिक्षण हेतु अध्यापक द्वारा सबसे पहले कक्षा के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से सम्पर्क किया जाना आवश्यक है, जिससे वस्तुस्थिति का पता चल सके। इस हेतु सर्वप्रथम अध्यापक को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के पास 'डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता' के सम्बन्ध में जानकरी लेनी होगी। समस्त विद्यार्थियों से निम्नांकित सूचनाएँ एकत्रित कर अध्यापक अपनी शिक्षण डायरी में अंकित करेंगे तथा **प्रज्ञाता** के निर्देशों के अनुसार अग्रेसित करेंगे –

अभिलेखन प्रारूप :–

- **कक्षा** : .....
- **कुल विद्यार्थी संख्या** : .....
- **संसाधनों की उपलब्धता का विवरण :**
- **डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता' के आधार पर श्रेणी विभाजन :**

श्रेणी (क)

ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या जिनके पास कम्प्यूटर/लैपटॉप/स्मार्टफोन (इन्टरनेट सहित) /टेलीविजन (डी.टी.एच. कनेक्शन सहित) उपलब्ध हैं।

श्रेणी (ख)

ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिनके घरों में सीमित संसाधन हैं। यथा जिनके पास स्मार्टफोन बिना इंटरनेट कनेक्शन के उपलब्ध हैं। टेलीविजन डी.टी.एच. कनेक्शन सहित उपलब्ध है व रेडियो तथा बेसिक मोबाइल फोन उपलब्ध हैं।

श्रेणी (ग)

ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास किसी भी प्रकार के डिजिटल उपकरण या साधन नहीं हैं।

विद्यार्थी का नाम	**डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता का विवरण**		
	(क) **टेलीविजन, स्मार्टफोन (इन्टरनेट सहित) एवं लैपटॉप है।**	(ख) **सीमित संसाधन**	(ग) **किसी भी प्रकार का डिजिटल साधन नहीं है।**

(अध्यापक एवं संस्थाध्यक्ष उक्त सूचनाओं को अपनी डायरी में अभिलिखित रखेंगें।)

विद्यार्थी समूहों में वर्गीकरण :

सर्वेक्षण के उपरान्त अध्यापक तीनों श्रेणियों के विद्यार्थियों हेतु निम्नलिखित तरीकों से व्यवस्था तैयार कर सकता है–

- श्रेणी **क** के विद्यार्थियों से अध्यापक **'गूगल–मीट'** और **'व्हाट्सएप'** आदि संचार माध्यमों से सम्पर्क करेंगे।
- श्रेणी ख के विद्यार्थियों को दूरदर्शन एवं रेडियो के कार्यक्रमों की जानकारी देना।
- श्रेणी (ग) के विद्यार्थियों पर तुरन्त ध्यान देना। ऐसे विद्यार्थियों से अध्यापक उसके मित्र के माध्यम से सम्पर्क करेंगे तथा उन विद्यार्थियों के नजदीकी या पड़ोसी मित्र का सम्पर्क प्राप्त करने के बाद अध्यापक उनसे बातचीत करने के साधन खोजेंगे। जैसे–सबसे नजदीक में उसकी मोबाईल तक पहुँच की पहचान करना। तत्पश्चात अध्यापक उन अभिभावकों व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे।
- श्रेणी 'ग' के विद्यार्थियों को विषय व संदर्भ आधारित वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी।
- अध्यापक द्वारा विषय में कक्षावार पाठ या पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यवस्तु का चयन करना और चयनित विषयवस्तु के सन्दर्भ में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु निर्देशित करना।
- कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर अध्यापक एक से अधिक 'व्हाट्सएप समूहों' का निर्माण कर 'ऑनलाइन शिक्षण योजना' तैयार करेंगे। सम्भव हो तो श्रेणी **ग** के विद्यार्थियों को उनके मित्र समूह यानि श्रेणी **क** और **ख** के साथ रखेंगे। इस प्रकार अध्यापक उक्त निर्धारित विषयवस्तु पर समूहों को गाइड कर सकते हैं।

समुदाय सम्पर्क –

1. जागरूक एवं सेवानिवृत्त व्यक्तियों एवं स्थानीय विद्यार्थियों से सम्पर्क कर सहयोग लिया जाएगा।
2. **सम्पर्क हेतु टेली कॉनफ्रेंसिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, ई–मेल इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा।**
3. अभिभावकों से सप्ताह में एक बार अवश्य सम्पर्क किया जाएगा।
4. किसी गाँव/मौहल्ला में सम्बन्धित विद्यालय के पाँच से अधिक विद्यार्थी होने की दशा में उनमें से एक विद्यार्थी को 'मॉनीटर' बनाया जाएगा, जो विद्यार्थियों को अध्यापक के निर्देशों से अवगत कराएगा।
5. यदि सेवित क्षेत्र के किसी व्यक्ति के पास टी.वी. अथवा रेडियो उपलब्ध हो तो उसे प्रेरित कर आस–पास के विद्यार्थियों को टी.वी. अथवा रेडियो की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. कार्ययोजना के सफल संचालन हेतु जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन तथा पंचायतराज विभाग को प्रेरित किया जाएगा। विद्यार्थियों के निर्देशन एवं सुरक्षा हेतु एक अभिभावक को प्रेरित किया जा सकता है।
7. सम्पर्क का कार्य दिनाँक 31 अगस्त 2020 तक पूर्ण किया जाएगा। उक्त कार्य का अभिलेखन **'प्रज्ञाता'** में दिए गए निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
8. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक समस्त वर्गीकरण एवं शिक्षण का अभिलेख करेंगे, ऑनलाइन साप्ताहिक शिक्षण योजना का अनुमोदन करेंगे तथा इसे अपनी डायरी में अभिलिखित करेंगे।

2. शिक्षण अधिगम योजना

प्रारम्भिक स्तर (कक्षा–1 से 3)	श्रेणीवार शिक्षण अधिगम योजना हेतु गतिविधियां		
	क ऐसे विद्यार्थी जिनके पास ऑनलाइन के पूर्ण डिजिटल संसाधन– टेलीविजन, स्मार्टफोन (इन्टरनेट युक्त) एवं लैपटॉप हैं।	ख ऐसे विद्यार्थी जिनके घरों में सीमित डिजिटल संसाधन हैं।	ग ऐसे विद्यार्थी जिनके पास किसी भी प्रकार का डिजिटल संसाधन नहीं है।
शिक्षण अधिगम प्रविधि / प्रक्रिया	• बच्चों के व्हाट्सएप व मैसेज ग्रुप तैयार करना। • यथासम्भव कान्फ्रेंस करना	• ऐसे विद्यार्थियों का चिह्नांकन करना जिनके घरों में सीमित डिजिटल संसाधन हैं।	• ऐसे विद्यार्थियों का चिह्नांकन करना जिनके घरों में किसी भी प्रकार के डिजिटल संसाधन नहीं हैं।
	• सप्ताहवार पाठ योजना के अनुरूप समूहवार समय सारणी तैयार करना।	• सप्ताहवार पाठ योजना के अनुरूप समूहवार समय सारणी तैयार करना। • वर्कशीट उपलब्ध कराना।	• सप्ताहवार पाठ योजना के अनुरूप समूहवार समय सारणी तैयार करना। • वर्कशीट उपलब्ध कराना।
शिक्षण सीखना–सिखाना	• सभी विद्यार्थियों को सुबह सहज, सरल योग, शारीरिक व्यायाम, माइण्डफुलनेस गतिविधि, सरल एवं हल्की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे– अपने अहाते में दौड़ना, कदमताल आदि कराना।	• सभी विद्यार्थियों को सुबह सहज, सरल योग, शारीरिक व्यायाम, माइण्डफुलनेस गतिविधि, सरल एवं हल्की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे– अपने अहाते में दौड़ना, कदमताल आदि कराना।	• सभी विद्यार्थियों को सुबह सहज, सरल योग, शारीरिक व्यायाम, माइण्डफुलनेस गतिविधि, सरल एवं हल्की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे– अपने अहाते में दौड़ना, कदमताल आदि कराना।
	• लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप गतिविधियाँ	• लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप गतिविधियाँ	• लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप गतिविधियाँ

	कराना। • बच्चों को संबोध पर आधारित बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना।	कराना। • बच्चों को संबोध पर आधारित बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना।	कराना। • बच्चों को संबोध पर आधारित बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना।
	• कविता, कहानी, घर–परिवार एवं परिवेश पर बातचीत करना। (यह कार्य प्रतिदिन शिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व किया जाएगा)	• कविता, कहानी, घर–परिवार एवं परिवेश पर बातचीत करना। (यह कार्य प्रतिदिन शिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व किया जाएगा)	• कविता, कहानी, घर–परिवार एवं परिवेश पर बातचीत करना। (यह कार्य प्रतिदिन शिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व किया जाएगा)
	•चित्रकारी एवं सुलेख का कार्य, चित्रों पर आधारित कहानी पर चर्चा कराना/कार्य देना।	• चित्रकारी एवं सुलेख का कार्य, चित्रों पर आधारित कहानी पर चर्चा कराना/कार्य देना।	• चित्रकारी एवं सुलेख का कार्य, चित्रों पर आधारित कहानी पर चर्चा कराना/कार्य देना।
	• एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित, एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार शिक्षण करना।	• एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित, एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार शिक्षण करना।	• एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित, एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार शिक्षण करना।
	• प्रतिदिन संख्या ज्ञान, अक्षर ज्ञान तथा कक्षा स्तर की भाषायी एवं गणितीय संक्रियाएँ करवाना।	• प्रतिदिन संख्या ज्ञान, अक्षर ज्ञान तथा कक्षा स्तर की भाषायी एवं गणितीय संक्रियाएँ करवाना।	• प्रतिदिन संख्या ज्ञान, अक्षर ज्ञान तथा कक्षा स्तर की भाषायी एवं गणितीय संक्रियाएँ करवाने का कार्य देना।
	• ऑडियो फॉर्म में पॉडकास्ट रेडियो तथा कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।	• ऑडियो फॉर्म में पॉडकास्ट रेडियो तथा कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।	• यथासम्भव ऑडियो फॉर्म में पॉडकास्ट रेडियो तथा कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।

	• विषय से सम्बन्धित रोचक वीडियो को छात्रों को देखने के लिए प्रेरित करना। • कोई भी वीडियो 5 से 8 मिनट से अधिक लम्बा न हो। • इसके उपरान्त वीडियो पर आनन्दम् कार्यक्रम की भाँति चर्चा की जायेगी। • सभी बच्चों को स्वयं प्रभा चैनल के एक सप्ताह के कार्यक्रमों के प्रसारण का समय व उनकी कक्षा से सम्बन्धित प्रसारण की जानकारी दी जाएगी।	• ऐसे छात्रों को वर्कशीट भेजना। • वर्कशीट में एक उदाहरण दिया जायेगा। उसमें बाद समस्याएँ दी जाएंगी। उदाहरणार्थ– गणित में उदाहरण के उपरान्त एक जैसी संक्रिया के न्यूनतम 5 प्रश्न दिये जाएगे। • पर्यावरण अध्ययन, भाषा जैसे विषयों में विद्यार्थी को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। • वर्कशीट में कुछ पजल व पहेलियाँ दी जा सकती हैं। • सभी बच्चों को स्वयं प्रभा चैनल के एक सप्ताह के कार्यक्रमों के प्रसारण का समय व उनकी कक्षा से सम्बन्धित प्रसारण की जानकारी दी जाएगी।	• ऐसे छात्रों को वर्कशीट भेजना। वर्कशीट में एक उदाहरण दिया जायेगा। उसमें बाद समस्याएँ दी जाएंगी। उदाहरणार्थ– गणित में उदाहरण के उपरान्त एक जैसी संक्रिया के न्यूनतम 5 प्रश्न दिये जाएगें। पर्यावरण अध्ययन, भाषा जैसे विषयों में विद्यार्थी को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। वर्कशीट में कुछ पजल व पहेलियाँ दी जा सकती हैं। सभी बच्चों को स्वयं प्रभा चैनल के प्रसारण समय व उनकी कक्षा से सम्बन्धित प्रसारण की जानकारी दी जाएगी। • यथासम्भव व्यक्तिगत सम्पर्क करना तथा सम्पर्क के दिन सोशियल डिसटेन्सिंग का पालन करते हुए बच्चों का मार्गदर्शन करना।
	• पाठयोजना के लिए संबोधों से सम्बन्धित सामग्री डिजिटल प्लेटफार्म जैसे–दीक्षा, स्वयंप्रभा, कम्यूनिटी रेडियो, ऑनलाइन कोचिंग आदि की सहायता लेना व बच्चों को सूचित करना।	• सप्ताह में अभिभावकों से दूरभाष पर सम्पर्क किया जाएगा। उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने पाल्यों को पढ़ने के लिए समय, अवसर व सकारात्मक वातावरण दें।	• सप्ताह में अभिभावकों से दूरभाष पर सम्पर्क किया जाएगा। उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने पाल्यों को पढ़ने के लिए समय, अवसर व सकारात्मक वातावरण दें।

	• अध्यापक स्वयं भी उक्त चैनलों को देखेंगे।		
	गृह कार्य– • बच्चों को रोचक गृह कार्य दिये जाएँगे। जैसे– वह अपने दिन भर की दिनचर्या, अभिभावकों की दिनचर्या, स्थानीय प्रवेश व मौसम का वर्णन साथ ही संकल्पानात्मक सामग्री जैसे गणित की मूल भूत संक्रियाऐं, भाषा में लिखने के लिए छोटी कविता, पद्य सुलेख आदि गृह कार्य दिये जाएँगे। • प्रत्येक दिन 15 मिनट का पठन अभ्यास कार्य दिया जायेगा।	**गृह कार्य–** • बच्चों को रोचक गृह कार्य दिये जाएँगे। जैसे– वह अपने दिन भर की दिनचर्या, अभिभावकों की दिनचर्या, स्थानीय प्रवेश व मौसम का वर्णन साथ ही संकल्पानात्मक सामग्री जैसे गणित की मूल भूत संक्रियाऐं, भाषा में लिखने के लिए छोटी कविता, पद्य सुलेख आदि गृह कार्य दिये जाएँगे। • प्रत्येक दिन 15 मिनट का पठन अभ्यास कार्य दिया जायेगा।	**गृह कार्य–** • बच्चों को रोचक गृह कार्य दिये जाएँगे। जैसे– वह अपने दिन भर की दिनचर्या, अभिभावकों की दिनचर्या, स्थानीय प्रवेश व मौसम का वर्णन साथ ही संकल्पानात्मक सामग्री जैसे गणित की मूलभूत संक्रियाऐं, भाषा में लिखने के लिए छोटी कविता, पद्य सुलेख आदि गृह कार्य दिये जाएँगे। • प्रत्येक दिन 15 मिनट का पठन अभ्यास कार्य दिया जायेगा।
	• विषयवार वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी जिसे अध्यापक द्वारा तैयार किया जाएगा। • वर्कशीट का वितरण जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से किया जाएगा। • वर्कशीट का वितरण एम. डी.एम. वितरण के दौरान अथवा अध्यापक द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है। वर्कशीट सप्ताह में एक बार वितरित की जाएगी।	• विषयवार वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी जिसे अध्यापक द्वारा तैयार किया जाएगा। • वर्कशीट का वितरण जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से किया जाएगा। • वर्कशीट का वितरण एम.डी.एम. वितरण के दौरान अथवा अध्यापक द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है। वर्कशीट सप्ताह में एक बार	• विषयवार वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी जिसे अध्यापक द्वारा तैयार किया जाएगा। • वर्कशीट का वितरण जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से किया जाएगा। • वर्कशीट का वितरण एम.डी.एम. वितरण के दौरान अथवा अध्यापक द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है। वर्कशीट सप्ताह में एक बार

	• वर्कशीट में पाठ्यक्रम व सन्दर्भ एवं अवधारणाओं की निरन्तरता का ध्यान रखा जाएगा। • इस हेतु जागरूक व्यक्तियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों व बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों से योगदान प्राप्त किया जा सकता है। • व्हाट्सऐप के माध्यम से भी वर्कशीट भेजी जा सकती है।	वितरित की जाएगी। • वर्कशीट में पाठ्यक्रम व सन्दर्भ एवं अवधारणाओं की निरन्तरता का ध्यान रखा जाएगा। • इस हेतु जागरूक व्यक्तियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों व बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों से योगदान प्राप्त किया जा सकता है।	वितरित की जाएगी। • वर्कशीट में पाठ्यक्रम व सन्दर्भ एवं अवधारणाओं की निरन्तरता का ध्यान रखा जाएगा। • इस हेतु जागरूक व्यक्तियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों व बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों से योगदान प्राप्त किया जा सकता है।
	चर्चा सत्र– • प्रत्येक दिन छात्रों से हुए सम्पर्क के उपरान्त उस दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। विद्यार्थी आपस में चर्चा कर सकते हैं।	**चर्चा सत्र–** • प्रत्येक दिन छात्रों से हुए सम्पर्क के उपरान्त उस दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। विद्यार्थी आपस में चर्चा कर सकते हैं।	**चर्चा सत्र–** • प्रत्येक दिन छात्रों से हुए सम्पर्क के उपरान्त उस दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। विद्यार्थी आपस में चर्चा कर सकते हैं।
प्रारम्भिक स्तर **(कक्षा–04 से 08)**	• प्रत्येक छात्र को सुबह सहज–सरल योग, शारीरिक व्यायाम के साथ–साथ माइण्डफुलनेस गतिविधि, हल्की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे– कदमताल, उछलकूद, हल्की दौड़ आदि कराना।	• प्रत्येक छात्र को सुबह सहज–सरल योग, शारीरिक व्यायाम के साथ–साथ माइण्डफुलनेस गतिविधि, हल्की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे– कदमताल, उछलकूद, हल्की दौड़ आदि कराना।	• प्रत्येक छात्र को सुबह सहज–सरल योग, शारीरिक व्यायाम के साथ–साथ माइण्डफुलनेस गतिविधि, हल्की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे– कदमताल, उछलकूद, हल्की दौड़ आदि कराना।
	• अध्यापक द्वारा स्वयंप्रभा चैनल तथा सामुदायिक रेडियो से प्रसारित शिक्षण सामग्री का कार्यक्रम छात्रों के साथ साझा किया	• अध्यापक द्वारा स्वयंप्रभा चैनल तथा सामुदायिक रेडियो से प्रसारित शिक्षण सामग्री का कार्यक्रम छात्रों के	• अध्यापक सर्वप्रथम श्रेणी क एंव ख के ऐसे विद्यार्थियों का पता लगायेगा जो इनके आसपास रहते हैं अथवा

	जायेगा। • संबोध से सम्बन्धित वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी।	साथ साझा किया जायेगा। • संबोध से सम्बन्धित वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी।	इनके मित्र हैं। • इनके माध्यम से शिक्षक इस श्रेणी के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे।
	• लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप गतिविधियाँ कराना साथ ही बच्चों को संबोध पर आधारित बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना। • उदाहरणार्थ– कक्षा–8 में सामाजिक विज्ञान में स्थानीय परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के वितरण सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित करना व इनके बारे में बातचीत करना। संसाधनों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाना। गणित में परिमेय संख्याएँ तथा इन संक्रियाओं सम्बन्धी पैटर्न। वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल सम्बन्धी पैटर्न खोजना। • भाषा में बातचीत, चर्चा व विश्लेषण के अवसर तथा जीवन से जोड़कर विषय को समझने के अवसर देना।	• लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप गतिविधियाँ कराना साथ ही बच्चों को संबोध पर आधारित बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना। • उदाहरणार्थ– कक्षा–8 में सामाजिक विज्ञान में स्थानीय परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के वितरण सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित करना व इनके बारे में बातचीत करना। संसाधनों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाना। गणित में परिमेय संख्याएँ तथा इन संक्रियाओं सम्बन्धी पैटर्न। वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल सम्बन्धी पैटर्न खोजना। • भाषा में बातचीत, चर्चा व विश्लेषण के अवसर तथा जीवन से जोड़कर विषय को समझने के अवसर देना।	• लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप गतिविधियाँ कराना साथ ही बच्चों को संबोध पर आधारित बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना। • उदाहरणार्थ– कक्षा–8 में सामाजिक विज्ञान में स्थानीय परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के वितरण सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित करना व इनके बारे में बातचीत करना। संसाधनों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाना। गणित में परिमेय संख्याएँ तथा इन संक्रियाओं सम्बन्धी पैटर्न। वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल सम्बन्धी पैटर्न खोजना। • भाषा में बातचीत, चर्चा व विश्लेषण के अवसर तथा जीवन से जोड़कर विषय को समझने के अवसर देना।
	• सन्दर्भ बातों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने	• सन्दर्भ बातों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने तथा	• सन्दर्भ बातों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने

	तथा लिखने के अवसर।	लिखने के अवसर।	तथा लिखने के अवसर।
	• एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित, एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार शिक्षण करना।	• एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित, एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार शिक्षण करना।	• एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित, एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार शिक्षण करना।
	• ऑडियो फार्म में इंटरनेट आधारित पॉडकास्ट रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो तथा अवधारणा सम्बन्धी वीडियो के माध्यम से अधिगम व उस पर चर्चा।	• ऑडियो फार्म में इंटरनेट आधारित पॉडकास्ट रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो तथा अवधारणा सम्बन्धी वीडियो के माध्यम से अधिगम व उस पर चर्चा। • विषय अनुसार वर्कशीट भेजना।	• विषय अनुसार वर्कशीट भेजना। • मौहल्ले/गाँव के बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी/अन्य शिक्षित व्यस्कों का सहयोग प्राप्त करना।
	• प्रतिदिन छात्रों से चर्चा।	• प्रतिदिन छात्रों से चर्चा।	• प्रतिदिन छात्रों की जानकारी लेना तथा पियर ग्रुप चर्चाओं को प्रोत्साहित करवाना।
	• साप्ताहिक रूप से छात्रों को विषयवार संबोधों से सम्बन्धित सामग्री यथा दीक्षा, स्वयंप्रभा चैनल, कम्यूनिटी रेडियो तथा ऑनलाइन रेडियो की सहायता व उन्हें सूचित करना।	• छात्रों को वर्कशीट प्रेषित करना वर्कशीट में उदाहरण देकर तत्सम्बन्धी समस्याएँ हल करने को दी जाएंगी।	• छात्रों को वर्कशीट प्रेषित करना वर्कशीट में उदाहरण देकर तत्सम्बन्धी समस्याएँ हल करने को दी जाएंगी।
	• शिक्षक माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, ऐडमोडो अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों के पूर्व ज्ञान	दीक्षा, स्वयंप्रभा चैनल, कम्यूनिटी रेडियो तथा ऑनलाइन रेडियो की	• विद्यार्थियों के पियर ग्रुप बनाएँ जाएँ। • गाँव/मौहल्ले के बड़ी

	को जानने का प्रयास करना। • समूह चर्चा, गतिविधि एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से संबोध का प्रस्तुतीकरण करना। • संबोध के प्रस्तुतीकरण हेतु शिक्षक द्वारा निम्नलिखित सुझावात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है– – संबोध से सम्बन्धित प्रश्नों की सूची तैयार करना। – संबोध का प्रस्तुतीकरण पी.पी.टी. एवं अन्य डिजीटल सामग्री द्वारा करना। – संबोध की अवधारणात्मक समझ स्पष्ट करने हेतु सम्बन्धित ऑनलाइन/ऑफलाइन ई–सामग्री विद्यार्थियों के साथ साझा करना।	सहायता व उन्हें सूचित करना।	कक्षा के बच्चों का सहयोग लिया जाए। • सेवानिवृत्त व्यक्तियों से सहयोग लिया जाए।
	• **चर्चा सत्र–** प्रत्येक दिन छात्रों से हुए सम्पर्क के उपरान्त उस दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।	• **चर्चा सत्र–** प्रत्येक दिन छात्रों से हुए सम्पर्क के उपरान्त उस दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।	• **चर्चा सत्र–** प्रत्येक दिन छात्रों से हुए सम्पर्क के उपरान्त उस दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।
	गृह कार्य– • पढ़ाये गए संबोधों पर गृह कार्य तथा प्रतिदिन	**गृह कार्य–** • पढ़ाये गए संबोधों पर गृह कार्य तथा प्रतिदिन	**गृह कार्य–** • पढ़ाये गए संबोधों पर गृह कार्य तथा प्रतिदिन

	पठन अभ्यास देना।	पठन अभ्यास देना।	पठन अभ्यास देना।
माध्यमिक स्तर **(कक्षा–09 से 12)**	• शिक्षक द्वारा ज्ञानदीप, स्वयंप्रभा चैनल तथा सामूदायिक रेडियो से प्रसारित शिक्षण सामग्री का कार्यक्रम छात्रों के साथ साझा किया जाएगा। • शिक्षक माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, ऐडमोडो अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करना। • संबोध के प्रस्तुतीकरण हेतु शिक्षक द्वारा निम्नाकित सुझावात्मक विधियों का प्रयोग किया जाएगा– – संबोध से सम्बन्धित प्रश्नों की सूची तैयार करना। – विचारोत्तेजन (ब्रेनस्टार्मिंग) – संबोध का प्रस्तुतीकरण – समूह चर्चा – ऑनलाइन गतिविधि – प्रश्नोत्तर सत्र • संबोध की अवधारणात्मक समझ स्पष्ट करने हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन ई–सामग्री (दीक्षा, ई– पाठ्शाला,	• शिक्षक द्वारा ज्ञानदीप, स्वयंप्रभा चैनल तथा सामूदायिक रेडियो से प्रसारित शिक्षण सामग्री का कार्यक्रम छात्रों के साथ साझा किया जाएगा। • छात्रों को संबोध से सम्बन्धित वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। • प्रोजेक्ट व एसाइमेन्ट दिए जायें तथा उन पर चर्चा की जाए।	• शिक्षक सर्वप्रथम श्रेणी 'क' व 'ख' वाले ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाएँगे जो इनके आस–पास रहते हैं अथवा इनके मित्र हैं। • इनके माध्यम से शिक्षक इस श्रेणी के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। • घर के आस–पास के विद्यार्थी आपस में समूह बनाकर सोशियल डिस्टेंसिंग का पालन करते हेतु अध्ययन हुए स्थान चयनित करेंगे। यह स्थान किसी का घर हो सकता है। • प्रोजेक्ट व एसाइमेन्ट दिए जायें।

	यू–ट्यूब) लिंक के रूप में प्रेषित करेंगे। एप्स भी डाउनलोड करवाये जा सकते हैं। मूल संकल्प 9 पर विशिष्ट ध्यान आवश्यक है। • प्रोजेक्ट व एसाइमेन्ट दिए जायें।		
आकलन / मूल्यांकन :– • इसका पाक्षिक कलैण्डर बना लिया जाए। • मूल्यांकन का शैड्यूल बनाकर वितरण हेतु अभिभावकों, सामाजिक कार्य कर्ताओं, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा।	• गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप, Kahoot, वर्कशीट के द्वारा किये गये कार्यों को ऑनलाइन भेजना। • ऑनलाइन क्विज, मौखिक आकलन करना। • कुछ प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर सीधे पुस्तक से न प्राप्त हों। • कुछ प्रश्न ऐसे हों जिनके सपुस्तक (Open Book Assesment Method) उत्तर दिए जा सकें। • आकलन में उदाहरणार्थ पौधे / जीवजन्तु का सर्वे व उसका विश्लेषण, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट विषयानुसार दिए जा सकते हैं। • घर पर हो सकने वाले प्रयोग व वैज्ञानिक कार्य यथा हारवेरियम, पौध बीज रोपण का अध्ययन, अम्ल क्षार पहचान इत्यादि। • मूल्यांकन में आधारभूत सकल्पानाओं (Concept) पर ध्यान	• मौखिक आकलन– वाइस कॉल के द्वारा किये गये कार्य की वर्कशीट। • मौखिक मूल्यांकन। • कुछ प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर सीधे पुस्तक से न प्राप्त हों। • कुछ प्रश्न ऐसे हों जिनके सपुस्तक उत्तर दिए जा सकें। • आकलन में उदाहरणार्थ पौधे / जीवजन्तु का सर्वे व उसका विश्लेषण, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट विषयानुसार दिए जा सकते हैं। • घर पर हो सकने वाले प्रयोग व वैज्ञानिक कार्य यथा हारवेरियम, पौध बीज रोपण का अध्ययन, अम्ल क्षार पहचान इत्यादि। • यथासंभव ऑनलाइन प्रतियोगिताएं निबन्ध, कला, कविता लेखन इत्यादि विषयों पर आयोजित की जाएँ।	• मूल्यांकन के लिए वर्कशीट एवं वर्कबुक प्रेषित करना। • सम्पर्क होने पर किये गये कार्य से सम्बन्धित मौखिक प्रश्न। • मूल्यांकन का शैड्यूल बनाकर वितरण हेतु सामाजिक कार्य कर्ताओं, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों अथवा जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना। • कुछ प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर सीधे पुस्तक से न प्राप्त हों। • कुछ प्रश्न ऐसे हों जिनके सपुस्तक उत्तर दिए जा सकें। • आकलन में उदाहरणार्थ सर्वे व उसका विश्लेषण, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट विषयानुसार दिए जा सकते हैं। • घर पर हो सकने वाले प्रयोग व वैज्ञानिक कार्य यथा हारवेरियम, पौध बीज रोपण का अध्ययन, अम्ल क्षार पहचान

	दिया जाए। • यथासंभव ऑनलाइन प्रतियोगिताएं निबन्ध, कला, कविता लेखन इत्यादि विषयों पर आयोजित की जाएँ।		इत्यादि।
	• चर्चा सत्र– प्रत्येक दिन छात्रों से हुए सम्पर्क के उपरान्त उस दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।	• चर्चा सत्र– प्रत्येक दिन छात्रों से हुए सम्पर्क के उपरान्त उस दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।	• चर्चा सत्र– छात्रों से हुए सम्पर्क हो पाने की स्थिति में पूर्व शिक्षण का पश्चपोषण लिया जाए इसके उपरान्त आगामी दिनों की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।
	• गृह कार्य– पढ़ाये गये संबोधों पर गृह कार्य तथा प्रतिदिन पठन अभ्यास अंग्रेजी पर देना।	• गृह कार्य– पढ़ाये गये संबोधों पर गृह कार्य तथा प्रतिदिन पठन अभ्यास अंग्रेजी पर देना।	• गृह कार्य– पढ़ाये गये संबोधों पर गृह कार्य तथा प्रतिदिन पठन अभ्यास अंग्रेजी पर देना।
CWSN के लिए मार्गदर्शन **सामग्री संकल्पनात्मक, रोचक हों।**	• शारीरिक कमियों जैसे– हाथ पैर की अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों को दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों जैसे– गूगल मीट, यू–टयूब आदि के माध्यम से अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। • विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। • दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को श्रव्य माध्यमों जैसे–पॉडकास्ट रेडियो, कम्युनिटी रेडियो आदि के माध्यम से सामग्री उपलब्ध	• शारीरिक कमियों जैसे– हाथ पैर की अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों को दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों जैसे– गूगल मीट, यू–टयूब आदि के माध्यम से अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। • श्रव्यबाधित विद्यार्थियों हेतु दृश्य माध्यमों जैसे– वर्कशीट, चित्र (हार्ड व साफ्ट माध्यमों से) उपलब्ध कराये जायेगे। • दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को श्रव्य माध्यमों जैसे–पॉडकास्ट रेडियो, कम्युनिटी रेडियो आदि	• वर्कशीट उपलब्ध कराकर अभिभावकों से सहयोग लिया जाएगा।

	कराई जाएगी।	के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।	
अनुश्रवण	जनपदीय अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, डायट्स एवं संस्थाध्याक्ष द्वारा **प्रज्ञाता डिजिटल एजुकेशन हेतु निर्मित कार्य योजना** के आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।	जनपदीय अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, डायट्स एवं संस्थाध्याक्ष द्वारा प्रज्ञाता डिजिटल एजुकेशन हेतु निर्मित कार्य योजना के आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।	जनपदीय अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, डायट्स एवं संस्थाध्याक्ष द्वारा प्रज्ञाता डिजिटल एजुकेशन हेतु निर्मित कार्य योजना के आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

कक्षा शिक्षण में भाषण शैली का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। छात्रों को स्वंय सोचने, तर्क करने व स्वयं करने के मौके दिये जायेगे। प्रोजेक्ट, असाइनमेन्ट, समस्या समाधान तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियॉ दी जायेगी साथ ही छात्रों को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के मौके दिये जाएँगे।

विद्यालय सहयोगी एवं उनकी भूमिका–

1. **ग्राम मॉनिटर–** गाँव में विद्यार्थियों के शिक्षण में सहायता के लिए पीयर ग्रुप के लिए ग्राम मॉनिटर बनाया जा सकता है, जो कि उसी गाँव का निवासी हो। ग्राम मॉनिटर से आशय उस छात्र–छात्रा से है जो शिक्षक के निर्देशों को **श्रेणी क एवं ख तथा ग** के विद्यार्थियों को अनुशासित व प्रेरित रखने में सहायक होगा।
2. **अध्यापक–** विद्यालय स्तर पर शिक्षक, शिक्षिकाएँ एवं प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य मिलकर अपना व्हाट्सएप समूह बनाएंगे साथ ही मिलकर सी.एल.पी. के क्रियान्वयन पक्ष पर कार्ययोजना बनाकर कार्य करेंगे। यह ग्रुप मेरा विद्यालय/विद्यालय परिवार आदि नाम से पारस्परिक सहभागिता से कार्य करेगा।
3. **प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य–** संस्थाध्यक्ष के नेतृत्व में ही सी.एल.पी. कार्ययोजना व क्रियान्वयन पक्ष सुनिश्चित होगा। साथ ही सम्बन्धितों को प्रगति आख्या का प्रेषण व साझेदारी सुनिश्चित की जायेगी। प्रारिम्भक स्तर पर संकुल आधारित तथा माध्यमिक स्तर पर विकासखण्ड स्तर आधारित व्हाट्सएप समूह बनाया जाएगा। जिससे संस्थाध्यक्ष आपस में सामग्री व अनुभव साझा कर सकें।
4. **ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधि–** प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अपने सेवित क्षेत्र के ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि का सहयोग डिजिटल संसाधन जुटाने तथा अकादमिक कार्यों में लेंगे। जैसे– ऑनलाइन शिक्षण, स्वच्छता, शिक्षण सुविधा विशेषकर श्रेणी–ग वाले सी. डब्लू.एस.एन. छात्रों के लिये।

5. कम्यूनिटी में विद्यार्थियों के शिक्षण में सहायता के लिये उनके अभिभावकों अथवा ग्राम निवासियों में से **'रीडिंग बडी'** (Reading Buddy) तैयार किये जायेगे। इसमें विद्यार्थियों के साथियों में से किसी एक को तैयार किया जा सकता है।
6. **विद्यार्थी मित्र–** विद्यार्थी मित्र से आशय उस छात्र/छात्रा से है जो विशेषतः श्रेणी–क या ख से सम्बन्ध रखते हैं। तथा शिक्षक के मार्गदर्शन में अपने नजदीकी छात्र अथवा उसके माता–पिता से सम्पर्क करते हैं, शिक्षक के सन्देशों को सम्बन्धित छात्रों को बताते हैं। विद्यार्थी मित्र का चयन शिक्षक सर्वे के उपरान्त करेंगे और उस विद्यार्थी के माता–पिता से भी बातचीत कर श्रेणी–ग के छात्रों के शिक्षण में सहायता करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे।
7. **डायट–** इसमें सी.एल.पी. हेतु विद्यालय अपने सम्बन्धित जनपद की डायट से वर्कबुक, वर्कशीट, क्विज, पजल आदि बनाने में सहयोग लेंगे और सम्बन्धित डायट भी इस सन्दर्भ में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी अथवा संकुल या विकासखण्ड स्तर हेतु अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने में अपनी कार्ययोजना बनाकर सहयोग कर सकते हैं। डायट एक महत्वपूर्ण कार्य अपने जनपद में सी.एल.पी. के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति का आकलन करना भी है।

   डायट अपने स्तर से सी.एल.पी. आधारित वेबनार आदि का आयोजन (जैसे–Health Vebnar, Work Sheet, Work Book Designing Webninar, C.L.P. Orientation) कर सकते हैं या उक्त पर वेबनार श्रृखला का निर्माण कर आयोजित कर सकते हैं।
8. **उप शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, डायट तथा जनपदीय अधिकारी–** प्रारम्भिक स्तर पर अध्यापकों की स्थिति प्रगति सम्बन्धी सूचना उप शिक्षा अधिकारी जबकि माध्यमिक स्तर पर उक्त प्रगति की सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से डायट को उपलब्ध कराई जायेगी। डायट के माध्यम से जनपद की सूचना एस.सी.ई.आर.टी. को उपलब्ध कराई जायेगी।
9. **एस.सी.ई.आर.टी.–** एस.सी.ई.आर.टी. राज्य स्तर से जनपदों हेतु तथा डायट अपने जनपद के प्रत्येक ब्लॉक हेतु लगातार 15 दिनों तक विषयवार वेबनार का आयोजन करेगी। इसमें सी.एल.पी. लागू करना, सुरक्षा (Well Being) घर में रूचिपूर्ण गतिविधियाँ आदि महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा व प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका अभिलेख भी रखा जाएगा।
10. जिला स्तर पर जिला/मुख्य शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु जिला प्रशासन व एन.जी.ओ. का सहयोग प्राप्त करेंगे। यह सहयोग डिजिटल लर्निंग, वर्कशीट वितरण, वर्कशीट उपलब्ध कराने आदि में प्राप्त किया जायेगा। सी.एल.पी. को लागू करने हेतु डायट और जनपद एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होगें तथा ये सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में व्हाट्सएप समूह बनाकर सी0एल0पी0 लागू होने की प्रगति का सतत् अनुश्रवण करेंगें।
11. ऑनलाइन शिक्षण के दौरान समय समय पर लघु विराम दिया जाएगा तथा गतिविधियाँ भी करायी जाएँगी ताकि शिक्षण में सजीवता बनी रहे।

छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए, यह बेहतर है कि स्क्रीन समय का पालन किया जा सकता है। **(''प्रज्ञाता'' डिजिटल एजुकेशन हेतु कार्ययोजना से उद्धरित'')**

कक्षा	सिफारिश
प्राइमरी	निर्धारित दिवस पर माता–पिता के साथ बातचीत एवं उनका मार्गदर्शन। (अधिकतम 30 मिनट)
कक्षा 1 से 12 तक	एन.सी.ई.आर.टी.के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर को http://ncert.nic.in/से अपनाने की सिफारिश।
कक्षा 1 से 8 तक	ऑनलाइन. सिंक्रोनस लर्निंग (समकालिक लर्निंग)को अपनाया जा सकता है। जिसमें प्रति दिन दो वादन, प्रतिवादन 30–45 मिनट से अधिक का न हो। राज्य प्राथमिक स्तर पर पर ऑनलाइन कक्षा संचालन करवाने के विषय में निर्धारण कर सकते है।
कक्षा 9 से 12 तक	राज्य द्वारा ऑनलाइन. सिंक्रोनस लर्निंग (समकालिक लर्निंग) को अपनाया जा सकता है। जिसमें प्रति दिन दो वादन, प्रतिवादन 30–45 मिनट से अधिक का न हो।

आवश्यक जानकारी, संसाधन, सुझाव और फॉलोअप गतिविधियों का माता–पिता (जहां भी आवश्यक हो) से साझा करने के लिये त्वरित संदेश, चैट समूहों, ईमेल का उपयोग किया जाय।

• आने वाले सप्ताह के विषय में कार्यों का निर्धारण करने, या पिछले सप्ताह दिये गये कार्य का संदर्भ लेने के लिये समूह में प्रति सप्ताह कम से कम एक पोस्ट डाली जाय।

• शिक्षक छात्रों और अभिभावकों के साथ ई–सामग्री साझा कर सकते हैं और उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं कि घर पर उपलब्ध गैजेट्स का उपयोग करके उन सामग्रियों का उपयोग कैसे किया जाय।

• छात्रों को दिये गये कार्यों के करने के उपरांत समय–समय पर पश्चपोषण (feedback) प्रदान करते हुये सुधार के क्षेत्रों के बारें में अवगत करायें।

• विद्यालय प्रमुख किये गये कार्यो की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से शिक्षकों और अभिभावकों से (सप्ताह में कम से कम एक बार) बातचीत कर सकते हैं।

• जहां माता–पिता अपने पाल्यों को डिजिटल स्वरूप में सीखने में मदद न पाने की स्थिति में हैं। साथी समूह में सीखना, पड़ोसियों से मदद मांगने या स्थानीय मददगारों की पहचान करने आदि जैसे वैकल्पिक सहयोग का सुझाव दें।

• शिक्षक स्वयं निम्नलिखित मानदंडों को आधार बनाकर सामग्री–चयन अथवा सामग्री तैयार कर सकते हैं और छात्रों और अभिभावकों के बीच समूह में प्रसारित करके उन्हें उपयुक्त डिजिटल मीडिया चुनने में मदद कर सकते हैं।

• आयु–उपयुक्त सामग्री 'जो बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और हितों के साथ मेल खाती हो।

- सुस्पष्ट शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण
- सुस्पष्ट एवं अर्थयुक्त सामग्री।
- प्रासंगिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी

ऐसी गतिविधियों को सुझाव दें जो किः

- आयु–उपयुक्त, सरलता से घर में करने योग्य और बच्चों के बीच अवधारणाओं एवं कौशलों के निर्माण पर आधारित हों।
- बच्चों के समग्र विकास से सम्बंधित हों और माता–पिता आसानी से गतिविधियों को करने के दौरान बच्चों की सहायता कर सकते हों।
- बच्चों को अपने परिवेश या स्थानीयता में आसानी से उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने, निरीक्षण करने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

ऐसी प्रस्तुतियों का होना महत्वपूर्ण है जो आसानी से पढ़ने योग्य हों, स्लाइड्स बनाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जैसे 5 या उससे कम बुलेट प्वाइंट्स, इन्फोग्राफिक्स, ग्राफ्स, चार्ट्स का अधिकतम उपयोग एवं सारणी का जितना संभव हो कम उपयोग किया जाय।

12. राज्य/केन्द्र सरकार के द्वारा जारी कोविड–19 के दिशा निर्देशों के अधीन अध्यापक विद्यालय में संस्था प्रधान की देख–रेख में निर्धारित समय के लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्य करेंगे। इसके लिए विद्यालय में एक समय सारणी बनाई जायेगी जिसके अनुसार विषयवार शिक्षण कार्य किया जायेगा। शेष अध्यापक शेष समय में ऑनलाइन शिक्षण के लिए तैयारी करेंगे। प्रतिदिन किये गये शिक्षण की अंकना अध्यापक द्वारा एक पंजिका में किया जायेगा। इसकी जाँच संस्थाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर की जायेगी।
13. डायट द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से अभिभावकों का सर्वे कराया जायेगा कि उनको ऑनलाइन शिक्षण से क्या–क्या परेशानियाँ आ रही हैं, विद्यार्थियों की प्रतिभागिता तथा अन्य बिन्दुओं को चिन्हित किया जायेगा।

अध्यापकों हेतु छात्र प्रगति अनुश्रवण/मूल्यांकन सम्बन्धी सुझावात्मक प्रारूप निम्नलिखित हैं–

कक्षा–

समयावधि ..... से ..... तक

क्र. सं.	विषय	पंजीकृत सम्मिलित सभी श्रेणियों (क, ख, ग) के विद्यार्थियों की संख्या	मूल्यांकन में सम्मिलित सभी श्रेणियों (क, ख, ग) के विद्यार्थियों की संख्या	लिये गये संबोध/लर्निंग आउटकम	औसत उपलब्धि	सुधार हेतु योजना

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्यों हेतु अनुश्रवण प्रपत्र

कक्षा	विषय	औसत उपलब्धि	सुधार हेतु अवधि/योजना

उक्त प्रपत्रों पर सूचना को अपनी डायरी में भी अंकित रखेंगें।